संख्या- 173 /71-3-2010-129/09

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

विशेष कार्याधिकारी,
महानिदेशालय,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 05 फरवरी, 2010

विषयः- यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0, 2010 की आनलाईन कांउसिलिंग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/छात्रसेल/3304, दिनांक 14-01-2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के 06 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों/सी0एस0एम0एम0यू0, लखनऊ तथा सी0एस0एम0एम0यू0 में स्थापित मेडिकल एवं डेंटल संकाय में एम0डी0/एम0एस/पी0जी0 डिप्लोमा/एम0डी0एस0 पाठ्यक्रमों के राज्य कोटा की सीटों पर प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए शैक्षिक सत्र 2010-2011 से आनलाइन काउंसिलिंग में निम्न प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

599
AD(K)

1. यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0-2010 व भविष्य में कांउसिलिंग प्राविधिक विश्वविद्यालय तथा सी0पी0एम0टी0 में निर्धारित काउंसिलिंग प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।
2. यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0 का आयोजन सम्बन्धित विश्वविद्यालय/मेडिकल कालेज/शासन द्वारा चयनित संस्था द्वारा किये जाने के उपरान्त परीक्षाफल महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा को प्रस्तुत किया जायेगा।
3. यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0 की आनलाईन कांउसिलिंग प्रदेश के निम्नलिखित 7 केन्द्रों पर अथवा किसी एक निर्धारित केन्द्र पर की जायेगी :-
   (1) छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
   (2) जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर।
   (3) एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।
   (4) एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ।
   (5) एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा।
   (6) एम0एल0बी0 मेडिकल कालेज, झांसी।
   (7) बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा ही आनलाईन काउंसिलिंग की तिथि का प्रकाशन प्रमुख समाचार पत्रों में किया जायेगा।
5. आनलाइन काउंसिलिंग में समस्त अभ्यर्थियों को मेरिट (ओवर आल रैंक) के आधार पर आमंत्रित किया जायेगा, चाहें वह किसी भी श्रेणी (अनारक्षित/आरक्षित) का हो।
6. कांउसिलिंग के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को अपनी सुविधानुसार एक सेंटर का विकल्प यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0 फार्म में ही अंकित करना होगा अथवा शासन/महानिदेशालय द्वारा निर्धारित केन्द्र पर ही काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होना होगा। किन्हीं कारणों से काउंसिलिंग केन्द्र में परिवर्तन महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा की अनुमति से ही किया जा सकेगा। काउंसिलिंग में अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना होगा।

7. काउंसिलिंग से एक दिन पूर्व अभ्यर्थी को काउंसिलिंग शुल्क के रूप में रू0 500/- जमा करना होगा।
8. अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच, समिति, जिसमें सम्बन्धित कालेजों के प्रधानाचार्यगण अथवा डीन फैकल्टी अध्यक्ष होंगे तथा समिति में कालेज के 3 प्राध्यापक सदस्य के रूप में नियुक्त किये जायेंगे, के द्वारा जांच के पश्चात् अर्ह पाये जाने पर ही अभ्यर्थी का पंजीकरण किया जायेगा तथा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् रसीद उपलब्ध करायी जायेगी, जिन्हें अनर्ह पाया जायेगा उनका पंजीकरण नहीं किया जायेगा।
9. काउंसिलिंग की निर्धारित तिथि को सभी अभ्यर्थी सम्बन्धित केन्द्रों/केन्द्र पर अपने विकल्प देंगे तथा सभी अभ्यर्थियों के विकल्प देने के पश्चात् कम्प्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से उनकी वरीयता क्रम के अनुसार विकल्प का चयन कर सीट आवंटित कर दी जायेगी। आवंटित सीट का महानिदेशक से हस्ताक्षरित आवंटन पत्र/रिजक्सन पत्र अगले दिन अभ्यर्थी को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0-2010 से आगामी वर्षों के लिए फार्म की बिक्री में रू0 50/- प्रतिफार्म अतिरिक्त फीस के रूप में निर्धारित किया जायेगा।
11. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेज यदि अपने कालेज में प्रवेश हेतु इस आनलाइन कांउसिलिंग के माध्यम से प्रवेश चाहते हैं, तो प्रति कालेज रू0 50,000/- फीस का भुगतान करेगें।
12. उक्त धनराशि सी0पी0एम0टी0 फण्ड में जमा की जायेगी, जिसका व्यय शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31-1-1998 द्वारा अधिसूचित सी0पी0एम0टी0 फण्ड नियमावली-1997 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
13. यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0 आनलाईन काउंसिलिंग का संचालन एवं स्थापना का दायित्व नेशनल इन्फारमेटिक सेंटर, योजना भवन लखनऊ को दिया जायेगा तथा उनकी सहायता से काउंसिलिंग की जायेगी।

2- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

4.2.10

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 173 (1)/71-3-2010-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, मेडिकल कांउसिल आफ इण्डिया/डेण्टल कांउसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. कुलपति/कुलसचिव, छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ ।
3. निदेशक, नेशनल इन्फारमेशन सेंटर, योजना भवन, लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा, झाँसी, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ, इलाहाबाद।
5. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(ए0के0 बरनवाल)
विशेष सचिव।